प्रकरण संख्या 54/25 श्रीमती अवि जैन बनाम सोहनलाल अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-1-26	पत्रावली प्रस्तुत। अभिभाषक प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वंय उपस्थित। प्रार्थी स्वंय ने निवेदन किया की रेस्पो. स. 1 से 16 तथा रेस्पो. स. 17 मृतक रूपलाल के वारिसान व प्रार्थी अवि जैन के मध्य राजीनामा हो चूका हैं। अतः राजीनामा के अनुसार प्रार्थी का आराजी न. 1766/518 में रकबा 0.3416 हैक्टेयर तथा रेस्पो. स. 6 सुभाष गाडरी का आराजी न. 1767/518 में रकबा 0.5817 हैक्टेयर तथा अन्य खातेदारों का रकबा 1768/518 में 1.2645 हैक्टेयर रखा जाकर खाता संख्या 337 एवं 340 में प्रार्थी का कोई हिस्सा नहीं होकर उक्त हिस्सा अन्य सहखातेदारों में समाहित किया जाने तथा मोके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार नक़्शे में संशोधन कराने हेतु तहसीलदार देलवाडा को आदेशित फरमाया जावे। रेस्पो. स. 6 सुभाष गाडरी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र सहमति जाहिर करते हुये हस्ताक्षर किये। हमने प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं साथ में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त की जाती हैं तथा पत्रावली अधीनस्थ इन निर्देशों के साथ प्रतिपेषित की जाती हैं पक्षकारान के हिस्से व कब्जे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश-23 नियम-3 को मध्यनज़र रखते हुये तथा पक्षकारान को सुन कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे। प्रार्थना पत्र आदेश-23 नियम-3 151 CPC निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.2.2026 को उपस्थित रहे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लोटाया जावे। निर्णय आज दिनांक 14.1.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 14-1-26. भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kirti Rathore Date: 2026.02.10 14:48:34 IST Reason: SelfAttested	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर